

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

मांग संख्या 46

भारी उद्योग विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2019-2020			बजट 2020-2021			संशोधित 2020-2021			बजट 2021-2022		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	954.14	352.05	1306.19	930.35	559.63	1489.98	588.44	311.56	900.00	927.85	67.42	995.27
वसूलियां	-31.97	...	-31.97
प्राप्तियां
निवल	922.17	352.05	1274.22	930.35	559.63	1489.98	588.44	311.56	900.00	927.85	67.42	995.27
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	36.95	...	36.95	41.09	...	41.09	34.38	...	34.38	41.09	...	41.09
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
ऑटोमोबाइल उद्योग का विकास												
2. नेशनल ऑटोमोटिव परीक्षण तथा अनुसंधान और विकास अवसंरचना परियोजना (नेट्रिप)	150.88	108.35	259.23	...	300.00	300.00	...	114.30	114.30	...	67.22	67.22
3. भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों के तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण हेतु योजना-(फिम इंडिया)	500.00	...	500.00	692.94	...	692.94	318.36	...	318.36	756.66	...	756.66
4. आटोमोबाइल और एलाइड उद्योगों के लिए विकास परिषद	8.80	...	8.80	15.00	...	15.00	13.51	...	13.51	15.00	...	15.00
जोड़-ऑटोमोबाइल उद्योग का विकास	659.68	108.35	768.03	707.94	300.00	1007.94	331.87	114.30	446.17	771.66	67.22	838.88
पूंजीगत वस्तु क्षेत्रों का विकास												
5. भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा की वृद्धि	102.17	...	102.17	173.11	...	173.11	55.52	...	55.52	97.59	...	97.59
6. ताप विद्युत संयंत्रों के लिए एडवांस्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल (एयूससी) प्रौद्योगिकी का विकास	134.00	...	134.00
7. उद्योग संघों और सार्वजनिक उपक्रमों के उन्नयन की गतिविधियाँ	0.04	...	0.04	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20	0.50	...	0.50
जोड़-पूंजीगत वस्तु क्षेत्रों का विकास	236.21	...	236.21	173.31	...	173.31	55.72	...	55.72	98.09	...	98.09
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	895.89	108.35	1004.24	881.25	300.00	1181.25	387.59	114.30	501.89	869.75	67.22	936.97
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
8. केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान	19.00	...	19.00	6.00	...	6.00	18.00	...	18.00	15.00	...	15.00
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
9. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को सहायता	2.30	243.70	246.00	2.01	259.63	261.64	148.47	197.26	345.73	2.01	0.20	2.21

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2019-2020			बजट 2020-2021			संशोधित 2020-2021			बजट 2021-2022		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
अन्य												
10. वास्तविक वसूली	-31.97	...	-31.97
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	-10.67	243.70	233.03	8.01	259.63	267.64	166.47	197.26	363.73	17.01	0.20	17.21
कुल जोड़	922.17	352.05	1274.22	930.35	559.63	1489.98	588.44	311.56	900.00	927.85	67.42	995.27
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. उद्योग	885.22	...	885.22	889.26	...	889.26	554.06	...	554.06	886.76	...	886.76
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	36.95	...	36.95	41.09	...	41.09	34.38	...	34.38	41.09	...	41.09
3. अभियांत्रिक उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	0.05	0.05	0.05	0.05
4. उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	...	181.05	181.05	...	142.24	142.24	...	92.95	92.95	...	0.02	0.02
5. सीमेंट और अधात्विक खनिज उद्योगों के लिए ऋण	0.01	0.01	0.01	0.01
6. अभियांत्रिक उद्योगों के लिए ऋण	...	132.74	132.74	...	353.99	353.99	...	155.30	155.30	...	67.30	67.30
7. उपभोक्ता उद्योगों के लिए ऋण	...	38.26	38.26	...	63.34	63.34	...	63.31	63.31	...	0.04	0.04
जोड़-आर्थिक सेवाएं	922.17	352.05	1274.22	930.35	559.63	1489.98	588.44	311.56	900.00	927.85	67.42	995.27
अन्य												
8. पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय
जोड़-अन्य
कुल जोड़	922.17	352.05	1274.22	930.35	559.63	1489.98	588.44	311.56	900.00	927.85	67.42	995.27

(₹ करोड़)

	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. भारत हेवी एलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	...	336.00	336.00	...	372.00	372.00	...	180.00	180.00	...	252.00	252.00
2. हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
3. स्कूटर इंडिया लिमिटेड	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
4. एचएमटी लिमिटेड	...	11.74	11.74	0.01	...	0.01	...	1.50	1.50	0.01	26.20	26.21
5. हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
6. इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड
7. एण्ड्रयू यूल एण्ड कंपनी लिमिटेड	...	31.39	31.39	...	22.00	22.00	...	21.74	21.74	...	23.00	23.00
8. इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड	...	0.64	0.64	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00

										(₹ करोड़)		
	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
9. राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड	...	5.89	5.89	...	4.00	4.00
10. त्रिज एंड रूफ कंपनी लिमिटेड	...	14.50	14.50	...	20.00	20.00	...	25.00	25.00	...	25.00	25.00
11. रिचर्डसन एंड कूडास लिमिटेड	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
12. ब्रेथवेट बर्न जेसोप कन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड	...	0.33	0.33	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00
13. हिंदुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमिटेड
14. नेपा लिमिटेड	181.05	...	181.05	137.24	...	137.24	92.95	...	92.95	0.01	...	0.01
15. हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड	5.00	...	5.00	0.01	...	0.01
16. जगदीशपुर यूपी पेपर मिल
17. सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया	...	0.54	0.54	...	21.00	21.00	...	34.67	34.67	...	47.75	47.75
जोड़	181.05	401.03	582.08	142.29	443.00	585.29	92.95	266.91	359.86	0.07	377.95	378.02

1. **सचिवालय:** इसमें भारी उद्योग विभाग के सचिवालय व्यय के लिए प्रावधान है।

2. **नेशनल ऑटोमोटिव परीक्षण तथा अनुसंधान और विकास अवसंरचना परियोजना (नैट्रिप):** नैट्रिप का उद्देश्य राष्ट्रीय ऑटोमोटिव सुरक्षा और उत्सर्जन रूपरेखा की उभरती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप विश्वस्तरीय ऑटोमोटिव परीक्षण, मान्यकरण, अनुसंधान और विकास तथा होमोलोगेशन सुविधाएं सृजित करना है। इन्हें उत्तरी, पश्चिमी तथा दक्षिणी भारत के तीन प्रमुख केन्द्रों में सृजित किया जा रहा है। भारत सरकार ने इस परियोजना का अधिकांश वित्तापोषण किया है तथा परियोजना संबंधी सभी आयातों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट भी दी गई है जबकि राज्य सरकार ने रियायत दरों पर भूमि की पेशकश की है। विभिन्न चालू परियोजनाओं में उपकरणों को लगाने और उनकी कमिशनिंग के लिए नैट्रिप हेतु प्रावधान किया गया है।

3. **भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों के तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण हेतु योजना-(फेम इंडिया):** इस योजना 2020 के जरिए से, देश की जैविक ईंधन पर निर्भरता कम करने के साथ लोगों को स्वच्छ परिवहन समाधान उपलब्ध कराने के लिए नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान (एनईएमएमपी) के तहत देश में इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड परिवहन को बढ़ाना देने की एक पहल इस विभाग ने प्रारंभ की है। इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए प्रावधान रखा गया है।

4. **आटोमोबाइल और एलाइड उद्योगों के लिए विकास परिषद:** इलेक्ट्रिक मोबिलिटी परियोजना को पूरा करने तथा अनुसंधान संस्थानों अर्थात् भारतीय ऑटोमोटिव अनुसंधान संघ (एआरएआई), पुणे वाहन अनुसंधान और विकास संस्थापना, वीआरडीई, अहमदनगर और केंद्रीय सड़क परिवहन संस्थान (सीआईआरटी), पुणे और देश में अन्य अनुसंधान और विकास संस्थानों में बदलते सुरक्षा और उत्सर्जन मानकों के अनुसार वाहनों के परीक्षण के लिए सुविधाएं स्थापित करने के संबंध में नई और चालू विकास परियोजनाओं के लिए डेवलपमेंट काउंसिल फोर ऑटोमोबाइल एण्ड एलाइड इंडस्ट्री को अनुदान के रूप में प्रावधान रखा गया है।

5. **भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा की वृद्धि:** इस योजना का उद्देश्य देश में औद्योगिक आधार को विकसित करने के लिए विभाग की बड़ी स्थायी प्रतिबद्धता के भाग के रूप में भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता की वृद्धि करना है। इस योजना के तहत,

उद्योगों को कौशल और प्रौद्योगिकी सहयोग प्रदान करने के लिए आधुनिक साझा सुविधा केन्द्रों और सेक्टर विशिष्ट औद्योगिक क्लस्टर पार्कों की स्थापना की जाएगी।

7. **उद्योग संघों और सार्वजनिक उपक्रमों के उन्नयन की गतिविधियाँ:** औद्योगिक एसोसिएशनों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को संवर्धनात्मक कार्यकलाप करने के लिए प्रावधान रखा गया है।

8. **केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान:** सीएमटीआई एक अनुसंधान एवं विकास संगठन है जो व्यवहारिक प्रयोजनों तथा देश में प्रौद्योगिकी की वृद्धि में मदद करने के लिए अपने प्रयास मुख्य रूप से विनिर्माण प्रौद्योगिकी सेक्टर में ज्ञान अर्जित करने पर केन्द्रित करता है। संस्थान के कर्मचारियों के वेतन के आंशिक भुगतान के लिए प्रावधान रखा गया है।

9. **केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को सहायता:** केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को दी गई वजतीय सहायता में निम्नलिखित शामिल है:

(i) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड (एचएसएल) को अनुदान और उसमें निवेश: एचएसएल के पूर्व कर्मचारियों की पेंशन देयताओं को पूरा करने के लिए और इसके नमक उत्पादन में वृद्धि करने तथा मशीनरी और अवसंरचना आदि के आधुनिकीकरण हेतु प्रावधान किया गया है।